1

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 78 / 2024
प्रकरण दर्ज तिथि :— 27.05.2024
जीसीएमएस नम्बर :— 2024 / 143

अनवान
बाबूलाल वगैरह बनाम अमरलाल वगैरह

प्रार्थना पत्र बाबत् वाद में उपस्थिति दर्ज करने एवं वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन की नकल दिलाने का, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 व 151 सीपीसी पत्र प्रार्थना अंतर्गत धारा आदेश 21 नियम 97 सीपीसी हक हिस्सा बाबत्, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 09 नियम 04 व 13 सीपीसी धारा 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र बाबत् प्रतिवादी संख्या 05 तेजाराम व 06 हीरालाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 व 151 सीपीसी एवं अंतर्गत धारा आदेश 09 नियम 04 व 13 सीपीसी धारा 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 55 व 190 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 10 व 151 सीपीसी

उपस्थित 1 वादीगण अधिवक्ता श्री मनीष साहू उपस्थित
2 प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मदनलाल लश्कार (07,08) एवं श्री डूंगर सिंह (05,06) उपस्थित

आदेश दिनांकः 11.02.2025

प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 की ओर से अधिवक्ता श्री डूंगरसिंह ने प्रार्थना पत्र बाबत् वाद में उपस्थिति दर्ज करने एवं वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन की नकल दिलाने का तथा वकालतनामा पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। इस पर वादी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता की उभयपक्ष बहस समायत की गई । [दौ]राने बहस अधिवक्ता श्री डूंगर सिंह ने बताया कि गणपतलाल व अन्य विरूद्ध बालुराम के [अ]नवान से न्यायालय में विचाराधीन हैं जिसमें हम दोनो प्रतिवादी के अलावा मेंरे काका [भं]वरराम का भी हक हिस्सा था किन्तु उसके एकमात्र पुत्र भंवराई का हिस्सा बनता हैं जो [वा]द में पक्षकार बनके हमारे साथ काउण्टर क्लेम घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत कर रखा हैं [जि]सकी तारीख पेशी दिनांक 06.08.2024 को नियत हैं। वादग्रस्त भूमि के कुछ खसरे में गणपतलाल विरूद्ध किशनाराम के नाम से विचाराधीन हैं जिसकी तारीख पेशी दिनांक .08.2024 हैं। यह वर्तमान वाद बाबूलाल विरूद्ध अमरलाल के अनवान से प्रस्तुत किया [ग]या हैं जिसमे हमारी तामिल नहीं हुई हैं किन्तु जानकारी होने पर हम न्यायालय में हाजिर

गुलाब सिंह
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

हुई है। इस वाद में हमारी उपस्थिति दर्ज करने एवं नकले दिलाने के आदेश प्रदान करावें ताकि वाद को स्टे करने हेतु आवेदन पेश कर सकें।

दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने बताया कि गणपतलाल व अन्य विरूद्ध बालुराम के अनवान से न्यायालय में विचाराधीन था जो वादपत्र वादीगण द्वारा वाद पत्र वादीगण द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बर 301, 301/1 की हद तक उक्त वाद जरिये विड्रोल खारिज किया जा चुका हैं, अन्य वाद से उक्त वाद का कोई संबंध सरोकार नहीं हैं, एवं भंवराई का काउण्टर क्लेम दर्ज नहीं है, और ना ही वादीगण को काउण्टर क्लेम की कोई सूचना हैं। गणपतलाल विरूद्ध किशनाराम में वादीगण पक्षकार नहीं हैं तथा वादग्रस्त खसरा नम्बर के संबंध में उक्त वाद का कोई संबंध नहीं हैं वाद की विषयवस्तु भिन्न हैं। प्रतिवादीगण की तामिल विधिवत् हुई हैं, प्रतिवादीगण जान–बुझकर न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुए हैं। हीरालाल व तेजाराम ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया हैं, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस एवं पत्रावली के अवलोकन व मनन के पश्चात् अधिवक्ता उपस्थिति की होने से तथा सुनवाई का अवसर देने से एवं अधिवक्ता द्वारा नकल प्राप्त होने से, प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत् वाद में उपस्थिति दर्ज करने एवं वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन की नकल दिलाने का, स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

2. प्रतिवादीगण संख्या 05 एवं 06 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 व 151 सीपीसी के तहत पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया हैं। इस पर वादी अधिवक्ता ने अपना जबाव प्रस्तुत किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता की उभयपक्ष बहस समायत की गई । दौराने बहस अधिवक्ता श्री डूंगर सिंह ने बताया कि वादीगण बाबूलाल व अन्य ने जो दावा खसरा नम्बर 301, 301/1 के संबंध में दावा दर्ज किया गया। राजस्व वाद संख्या 27/2013 वादी गणपतलाल विरूद्ध प्रतिवादीगण बालूराम वगैरह के नाम से श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें उक्त खसरा नम्बर अंकित हैं। लंबित वाद के रहते हुए इस वाद के वादीगण ने भूमि कय की जो धारा 52 सम्पति अंतरण अधिनियम के तहत शून्य दस्तावेज हैं। राजस्व वाद संख्या 27/2013 वादी गणपतलाल विरूद्ध प्रतिवादीगण बालूराम वगैरह में भंवरी देवी की ओर आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत हुआ हैं जो स्वीकार किया गया तथा भंवरीदेवी ने उक्त वाद में काण्उटर क्लेम प्रस्तुत किया हैं। वादीगण उक्त वाद

गुलाब सिंह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

78/2024 को बंटवाडे की डिक्री करवाना चाहते हैं। पूर्व वाद संख्या 27/2013 के निस्तारण तक उक्त वाद को स्टे किये जाने हेतु निवेदन किया हैं।

इस पर दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने बताया कि उक्त वादपत्र के खसरा नम्बर 301, 301/1 की हद तक वाद विड्रोल किया हैं। राजस्व वाद संख्या 23/2013 तथा वाद संख्या 78/2024 दोनो की विषयवस्तु एवं पक्षकार अलग अलग हैं।राजस्व वाद संख्या 78/2024 बाबूलाल बनाम अमरलाल वगैरह में कोई भी पूर्ववर्ती वाद विचाराधीन नहीं हैं।इसलिये वादग्रस्त भूमि का जो क्रय–विक्रय किया गया हैं जो धारा 52 सम्पति अन्तरण अधिनियम के तहत शून्य दस्तावेज नहीं हैं। वादीगण अनवान गणपतलाल बनाम बालूराम वगैरह में पक्षकार नही हैं तथा काउण्टर क्लेम का वादीगण को काई सम्मन/नोटिस प्राप्त नहीं हुआ हैं।राजस्व वाद संख्या 27/2013 का राजस्व वाद संख्या 78/2024 से कोई संबंध सरोकार नहीं हैं, वादीगण जो गणपतलाल व अन्य बनाम बालूराम व अन्य की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की, जिसमें मुख्य पृष्ठ पर पहली आदेशिका दिनांक 15.02.2013 पर मुकदमा नं 23/2013 का अंकन हैं, 27/2013 के राजस्व वाद की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की हैं। उक्त महत्वपूर्ण तथ्य छुपाये हैं।पूर्ववर्ती वाद संख्या 23/2013 दिनांक 02.07.2024 को वादग्रस्त खसरा नम्बर 301, 301/1 ग्राम वर के संबंध में वाद विड्रोल खारिज किया जा चुका हैं जिसकी सम्पूर्ण आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि जवाव के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं जिसे जबाव का एक आवश्यक भाग समझा जावें। उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र पर वहस एवं पत्रावली के अवलोकन व मनन के पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में गलत वाद संख्या अंकित करने, उक्त वादपत्र बाबूलाल वगै बनाम अमरलाल वगै से पूर्ववर्त्ती वादपत्र से विषयवस्तु भिन्न होने से तथा पूर्ववर्त्ती वादपत्र में वादीगण को पक्षकार नहीं बनाने से एवं प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बावत् अंतर्गत धारा 10 व 151 सीपीसी खारिज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

3. प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 21 नियम 97 सीपीसी बाबत् हम प्रार्थीगण का हक हिस्सा तय कराने के अनुक्रम के तहत पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया हैं। इस पर वादी अधिवक्ता ने अपना जवाव प्रस्तुत किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता की उभयपक्ष बहस समायत की गई । दौराने वहस अधिवक्ता श्री डूंगर सिंह ने बताया कि खसरा नम्बर 301 व 301/1 सरहद मौजा

गुलाब सिंह

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

बर के संबंध में प्रस्तुत किया जिसका बंटवारे का वाद गणपतलाल वगैरह ने बालूराम वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत किया जो राजस्व वाद संख्या 23/2013 गणपतलाल बनाम बालूराम के नाम से विचाराधीन हैं।जिसमें प्रतिवादी संख्या 14 के रूप में भंवरी देवी पुत्री घेवरराम जाति माली निवासी बर निवासी रायपुर पक्षकार थी जिसका देहान्त होने पर उसके कायम मुकाम हम प्रार्थीगण रेकर्ड पर हैं जिनकी ओर से प्रतिदावा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर रखा हैं, जो विचाराधीन हैं। उक्त वाद संख्या 23/2013 के लंबित रहते यह वाद चलने योग्य नहीं हैं। वादग्रस्त सम्पति में पूर्व स्वतः धारी धूलारामजी पुत्र मोतीरामजी माली का 1/2 हिस्सा वादग्रस्त भूमि में था। जिसके 4 पुत्र मंगलाराम, भोलाराम,बालूराम,घेवरराम थें। घेवरराम जी के मात्र एक पुत्री भंवरीदेवी थी। जो वाद संख्या 23/2013 गणपतलाल विरूद्ध बालूराम में प्रतिवादी संख्या 14 हैं जिसका धूलाराम की भूमि में 1/4 हिस्सा बनता है अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में 1/16 हिस्सा बनता हैं। इस वर्तमान वाद 78/2024 बाबूलाल बनाम अमराराम में प्रतिवादी संख्या 05 व 06 का 1/16 हिस्सा ही बनता हैं तथा मंगलाराम के वारीसान का 1/16 ही बनता हैं तथा बालूराम के वारीसान का 1/16 हिस्सा ही बनता हैं। किन्तु उक्त लोगो ने अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि का बैचान कर दिया जबकि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इस वाद को पूर्व वाद संख्या 23/2013 वादीगण गणपतलाल बनाम विरूद्ध बालूराम वगैराह के निस्तारण तक स्टे फरमावे एवं प्रार्थीगण का हक हिस्सा वर्तमान भूमि में 1/16 हिस्सा कानूनन बनता हैं जिस बाबत् भी आदेश 21 नियम 97 सीपीसी के तहत सुनवाई कर हिस्सा तय करने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने बताया कि वादीगण ने बर ग्राम के खसरा नम्बर 301 व 301/1 के संबंध में बंटवाडे का वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया हैं, जिसमें वादीगण ने किसी प्रकार के कोई तथ्य नहीं छुपाये हैं, वादीगण ने जो खातेदार काश्तकार थे, उन सभी को वाद में पक्षकार बनाया हैं, वादीगण ने राजस्व वाद संख्या 23/2013 का वर्णन अपने वाद पत्र के पद संख्या 3 में स्पष्ट रूप से किया हैं, राजस्व वाद संख्या 23/2013 दिनांक 02.07.2024 को वादीगण का वाद जरिये विड्रोल खारिज किया जा चुका हैं, जिसकी आदेशिका की प्रति साथ में प्रस्तुत की जा चुकी हैं। भंवरीदेवी पुत्री घेवरराम का वादग्रस्त खसरा नम्बर 301 व 301/1 से कोई संबंध नहीं हैं,ना ही खातेदार काश्तकार है, और ना ही भंवरीदेवी का कोई हिस्सा वादग्रसस्त खसरा नम्बर 301/1 व 301 में निहित हैं, और ना ही वादीगण द्वारा जब उक्त भूमि को खरीद किया गया, उस समय भंवरीदेवी के वारिसान ने कोई आपत्ति प्ररतुत नहीं की, और ना ही कब्जो काश्त में दखलअंदाजी की हैं। भंवरीदेवी का काउण्टर क्लैम अलग से दर्ज नहीं हैं और ना

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

ही भंवरीदेवी के काउण्टर क्लैम में राजस्व वाद संख्या 78/2024 के वादीगण पक्षकार हैं, और ना ही भंवरीदेवी का कोई काउण्टर क्लैम न्यायालय में डिक्री हुआ हैं। राजस्व वाद संख्या 23/2013 दिनांक 02 जुलाई 2024 को वादीगण द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बर 301 व 301/1 ग्राम बर की हद तक जरिये विड्रोल किया जा चुका हैं, इसलिये वादीगण के राजस्व वाद संख्या 78/2024 के विचारण को स्टे नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजस्व वाद संख्या 23/2013 के पक्षकार एवं वाद की विषयवस्तु अलग हैं, एवं राजस्व वाद संख्या 78/2024 के पक्षकार एवं वादी की विषयवस्तु अलग–अलग हैं। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं हैं, काबिल खारिज के हैं। घेवरराम की मृत्यु भारत आजाद से पूर्व हो चुकी थी, एवं भंवरीदेवी भी भारत आजाद से पूर्व ससुराल जा चुकी थी, भंवरीदेवी, घेवरराम की पुत्री नही हैं, ऐसा कथन बालूराम पुत्र धुलाजी जाति माली निवासी बर ने अपने शपथ दिये गये जवावदावें में किया कि घेवरराम की कोई औलाद नहीं हुई, और घेवरराम की कोई पुत्री पैदा ही नहीं हुई, इस प्रकार भंवरीदेवी का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं आता हैं, इसलिये प्रार्थीगण ने जो हिस्से बताये हैं, जो बिल्कुल ही गलत, मनगढत और आधारहीन बताये हैं। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में जो हिस्से अंकित किये हैं, जो बिल्कुल गलत अंकित किये हैं, प्रार्थीगण द्वारा जो कृषि भूमि बैचान की गई हैं, उन बैचान पंजीयन दस्तावेजों को आज दिन तक चुनौती नहीं दी हैं, और ना ही निरस्त करवाया हैं, ऐसी सूरत में प्रार्थीगण को उक्त आपत्ति प्रस्तुत करने को कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थीगण उक्त राजस्व वाद संख्या 78/2024 में पक्षकार नही हैं, और ना ही पक्षकार बनने का कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं, इसलिये इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं हैं, काबिल खारिज के हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस एवं पत्रावली के अवलोकन व मनन के पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वाद संख्या 23/2013 गणपतलाल वगै बनाम बालूराम वगै तथा वाद संख्या 78/2024 बाबूलाल बनाम अमरलाल वगै की विषयवस्तु अलग होने से एवं प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत् अंतर्गत धारा आदेश 21 नियम 97 सीपीसी बाबत् हम प्रार्थीगण का हक हिस्सा तय कराने के अनुक्रम का खारिज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

4. प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 09 नियम 04 व 13 सीपीसी धारा 151 सीपीसी तहत पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया हैं। इस पर वादी अधिवक्ता ने अपना जबाव प्रस्तुत किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता की उभयपक्ष बहस समायत की गई । दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

बताया कि उक्त वाद जो वादीगण ने प्रस्तुत किया है। वाद 27/05/2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया व माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने के आदेश थे किन्तु उक्त नोटिस वाद के प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं हुए क्योंकि प्रतिवादीगण का निवास स्थान बर तहसील रायपुर अंकित किया जबकि प्रतिवादीगण ग्राम मेघडदा तहसील रायपुर में निवास करते हैं। उक्त वाद की जानकारी हमें हमारे अधिवक्ता श्री डूंगरसिंह को होने पर हमें सूचित किया तब हमें जानकारी हुई जब तक दिनांक 08.07.2024 को हमारे विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित फरमा कर एकतरफा प्राथमिक डिक्री जारी की गई जो दिनांक 08.07.2024 को आदेश एकतरफा एवं एकतरफा डिक्री दोनो जारी किए गए जो काबिले अपास्त के हैं।

इस पर दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने बताया कि वादीगण ने जो वाद प्रस्तुत किया है। जिसमें वादीगण के पते बिल्कुल सही लिखे हैं, उसी पते के अनुसार प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को विधिवत रूप से तामिल हुई हैं, लेकिन प्रतिवादी संख्या 05 व 06 जान बूझकर न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं आये, यदि प्रतिवादी संख्या 05 व 06 सम्मन तामिल नहीं होते, तो किसी भी सूरत में श्रीमान के समक्ष उक्त वाद में उपस्थित नहीं आते, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 द्वारा दिनांक 15.07.2024 को जो पूर्व में उपस्थिति दर्ज करने व नकले दिलाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें किसी प्रकार का कोई आक्षेप/आपत्ति नहीं अंकित की हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को राजस्व वाद संख्या 78/2024 की पूर्ण रूप से जानकारी हो गई थी। दिनांक 15.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 05 व 06 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र से हट कर गलत व मिथ्या कथन अंकित किये हैं, प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को उक्त प्राथमिक डिक्री की जानकारी दिनांक 08.07.2024 को पूर्ण रूप से हो गई थी, जिसकी पालना में प्रतिवादी संख्या 05 व 06 तहसीलदार रायपुर के समक्ष भी उपस्थित हुये थे, एवं वादीगण से यह शर्त रखी गई थी, कि सम्पूर्ण खसरों का बंटवाडा करवा दो, एवं उक्त वाद संख्या 78/2024 की डिक्री की पालना में कोई आपत्ति तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रस्तुत नहीं की हैं, एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने प्राथमिक डिक्री की पालना में अपनी मौन सहमति प्रस्तुत की, ऐसी सूरत में प्रतिवादी संख्या 05 व 06 का प्रार्थना पत्र किसी भी सूरत में चलने योग्य नही हैं, काबिले खारिज के हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस एवं पत्रावली के अवलोकन व मनन के पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में तामिली विधिवत् होने तथा पालना रिपोर्ट में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने से एवं प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से प्रतिवादी द्वारा पेश

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

प्रार्थना पत्र बाबत् अंतर्गत धारा आदेश 09 नियम 04 व 13 सीपीसी धारा 151 सीपीसी का खारिज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

5. प्रार्थना पत्र बाबत् प्रतिवादी संख्या 05 तेजाराम व 06 हीरालाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 व 151 सीपीसी एवं अंतर्गत धारा आदेश 09 नियम 04 व 13 सीपीसी धारा 151 सीपीसी तहत पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया हैं। इस पर वादी अधिवक्ता ने अपना जबाव प्रस्तुत किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता की उभयपक्ष बहस समायत की गई । दौराने बहस अधिवक्ता श्री डूंगर सिंह ने बताया कि प्रतिवादीगण दिनांक 19.07.2024 को 2 आवेदन अलग अलग अंतर्गत धारा 10 व 151 सीपीसी व द्वितीय आवेदन अंतर्गत आदेश 09 नियम 04 व 13 सीपीसी के प्रस्तुत किये जिसके साथ दावा संख्या 23/2013 गणपतलाल विरूद्ध बालूराम की प्रमाणित प्रतिलिपि व प्रतिदावे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं। उक्त दोनो आवेदन की फोटोप्रति व दस्तावेज की फोटोप्रति व दस्तावेज की फोटोप्रति विपक्षी अधिवक्ता को देने के लिए श्रीमान को प्रस्तुत की हैं। वाद की सुनवाई आज हो रही हैं इसलिए उक्त दोनो ही आवेदन जो दिनांक 19.07. 2024 को प्रस्तुत किए जिसको आज न्यायालय आदेशिका अंकित करना न्यायहित में आवश्यक हैं। उक्त दोनो प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.2024 को आज पत्रावली के आदेशिका में इन्द्राज कर उन पर सुनवाई का आदेश प्रदान करावें।

इस पर दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने बताया कि प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 ने वादीगण अधिवक्ता को आवेदन की फोटोप्रति व दस्तावेज प्राप्त करने हेतु कभी भी निवेदन नहीं किया, और ना ही प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेज लाकर वादीगण अधिवक्ता को दिये, न्यायालय के समक्ष जब प्रतिवादी संख्या 05 व 06 ने अपने प्रार्थना पत्र व दस्तावेज दिये, तो वादीगण ने प्राप्त कर लिये। दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में प्रार्थना पत्र व दस्तावेज की नकले दी गई, जो सुनवाई के वक्त प्राप्त की गई। प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 ने अपने विरूद्ध जारी की गई, एक पक्षीय की आदेशिका को कोई चुनौती नहीं दी गई है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 05 व 06 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं हैं, काबिल खारिज के हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस एवं पत्रावली के अवलोकन व मनन के पश्चात् वादीगण द्वारा नकले देने तथा प्रार्थना पत्र को न्यायालय के आदेशिका में इन्द्राज होने तथा न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्रो को सुनने से एवं प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से प्रतिवादी

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत् अंतर्गत धारा आदेश 09 नियम 04 व 13 सीपीसी धारा 151 सीपीसी का खारिज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

6. प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 55 व 190 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 10 व 151 सीपीसी बाबत् वर्तमान वाद बाबूलाल बनाम अमरलाल वगैरह को स्टे करने के अनुक्रम के तहत पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया हैं। इस पर वादी अधिवक्ता ने अपना जबाव प्रस्तुत नहीं किया हैं एवं बहस करना चाहते हैं। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता की उभयपक्ष बहस समायत की गई । दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने बताया कि यह वर्तमान वाद बाबत् कृषि भूमि के बंटवाडे बाबत् प्रस्तुत किया हैं, व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, जबकि इससे पूर्व इसी भूमि का वाद संख्या 23/2013 गणपतलाल वगै बनाम बालूराम वगै माननीय न्यायालय मे विचाराधीन हैं, वर्तमान वाद के प्रतिवादी संख्या 05 तेजाराम, 06 हीरालाल व भंवरी के कायम मुकाम लाबूराम पुत्र अमराजी, ममता पुत्री अमराजी, अमरलाल पुत्र मांगीलाल पक्षकार हैं। जिन्होने घोषणा का प्रतिवाद व इण्टर प्लीण्टर सूट प्रस्तुत कर रखा हैं, जो विचाराधीन हैं, उक्त वाद के विचाराधीन होते हुए वादीगण ने जमीन क्रय कर यह दावा प्रस्तुत किया, जो पूर्व वाद संख्या 23/2013 के विचाराधीन रहते हुये इस वाद में सुनवाई नहीं की जा सकती। राजस्व वाद संख्या 23/2013 की प्रमाणित प्रति पूर्व में रेकर्ड में प्रस्तुत की जा चुकी हैं। अतः राजस्व वाद संख्या 23/2013 गणपतलाल वगै बनाम बालूराम के निस्तारण तक वर्तमान वाद संख्या 78/2024 बाबूलाल बनाम अमरलाल को स्टे फरमाते हुये पूर्व वाद के साथ संलग्न के आदेश फरमावें।

इस पर दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने बताया कि उक्त वादपत्र के खसरा नम्बर 301, 301/1 की हद तक वाद विड्रोल किया हैं। राजस्व वाद संख्या 23/2013 तथा वाद संख्या 78/2024 दोनो की विषयवस्तु एवं पक्षकार अलग अलग हैं।राजस्व वाद संख्या 78/2024 बाबूलाल बनाम अमरलाल वगैरह में कोई भी पूर्ववर्ती वाद विचाराधीन नहीं हैं। वादीगण अनवान गणपतलाल बनाम बालूराम वगैरह में पक्षकार नही हैं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं हैं, काबिल खारिज के हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस एवं पत्रावली के अवलोकन व मनन के पश्चात् उक्त वादपत्र 78/2024 बाबूलाल वगै बनाम अमरलाल वगै से पूर्ववर्त्ती वादपत्र 23/2013 गणपतलाल वगै बनाम बालूराम से विषयवस्तु भिन्न होने से तथा पूर्ववर्त्ती वादपत्र में वादीगण को पक्षकार नहीं बनाने से एवं प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से प्रतिवादी द्वारा

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

पेश प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 55 व 190 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 10 व 151 सीपीसी बाबत् वर्तमान वाद बाबूलाल बनाम अमरलाल वगैरह को स्टे करने के अनुकम का खारिज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र बाबत् वाद में उपस्थिति दर्ज करने एवं वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन की नकल दिलाने का दिनांक 15.07.2024 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 व 151 सीपीसी दिनांक 23.07.2024, प्रार्थना अंतर्गत धारा आदेश 21 नियम 97 सीपीसी का हक हिस्सा तय करने बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2024, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 09 नियम 04 व 13 सीपीसी धारा 151 सीपीसी दिनांक 23.07.2024, प्रार्थना पत्र बाबत् प्रतिवादी संख्या 05 तेजाराम व 06 हीरालाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 व 151 सीपीसी एवं अंतर्गत धारा आदेश 09 नियम 04 व 13 सीपीसी धारा 151 सीपीसी दिनांक 23.07.2024, प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 55 व 190 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 10 व 151 सीपीसी दिनांक 07.01.2025 के प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

गुलाब सिंह
(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

उक्त आदेश आज दिनांक 11.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)